

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

कार्यालय/जोधपुर डिस्ट्रिक्ट/जोधपुर पोलिनो/अनु-पीओएण्ड एम०/का-

दि: 1079 दिनांक: 12/10/2001

स्वीकृतिपत्र

विषय:-कृषि कनेक्शनों को स्थानांतरित करने के क्रम में ।

जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के आदेश संख्या आ.ई.ओ.-03, जो.डि./अज/पी.पी.एण्ड एम०/का /प्रे-29 दिनांक 13.09.2001 के अनुसार सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को स्थानांतरित करने के प्रयत्न में उपभोक्ताओं से पहले जाने वाले समे से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 7 "सब स्टेशन/ट्रांसफार्मेशन चार्जेज स्वयं 1450/- प्रात द्वारा पावर ग्रामस्त उपभोक्ताओं से लिया जायेगा" के विषय में निम्न स्वीकृतिपत्र दिये जाते हैं :-

- 1- कनेक्शन होने से पहले स्थान परिवर्तन होने पर अधिका
- 2- शर्थात कृषि में पानी की कमी होने के कारण या अन्य परिस्थितियों के दबाव के कारण कृषि कनेक्शन को उसी स्तर/खेत में दूसरे चालू कुरे पर स्थान परिवर्तन करने जाने पर ।


उक्त दोनों परिस्थितियों में कृषि विद्युत कनेक्शन स्थानांतरित करवाने वाले से आवश्यक सामान का नार्डोवक व्यय ही लिया जायेगा, सब-स्टेशन/ट्रांसफार्मेशन चार्जेज ग्रामस्ती किये जायेंगे ।

अन्य सभी शर्तें ब्याबक रहेगी ।


 12/10/2001
 अध्यक्ष/अभियन्ता(पीओएण्ड एम०)
 जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर

प्रतिनिधी निम्नलिखित को जारी सूचनाएं प्राप्त है :

- 1- संभागीय मुख अफियन्ता(पबस), जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर / बीकानेर ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता(नाग/जिला/पबस/वाणिज्य), जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर/पारली/बिकानेर/बीकानेर/हनुमानगढ़/तुलसी/श्रीगंगागर को भेषक कर लेख है कि वे अपने अधिकृत कार्यालय सभी अधिसापी/सहायक अभियन्ताओं को उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपी अपने सर पर प्रेषित करावें ।
- 3- प्रावेण्डा/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट/अजमेर डिस्ट्रिक्ट/जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर/अजमेर/ जयपुर ।


 12/10/2001
 अध्यक्ष/अभियन्ता(पीओएण्ड एम०)
 जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर